

राजस्थान सरकार  
कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक  
तहसील खानपुर, जिला झालावाड



\*जाति प्रमाण पत्र\*

७६६

क्रमांक: प.सुगम/ जा.प. /

२०१३

2244

दिनांक

14/06/2013

प्रमाणित किया जाता है कि

प्रार्थी श्री / सुश्री / श्रीमती

पुत्र / पुत्री / पत्नी

निवासी

जिला / डिवीजन

आनिल मीणा

दुर्गाशंकर मीणा

खानपुर

झालावाड

राज्य / संघ राज्य / राजस्थान

मीणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रार्थी / प्रार्थीनी जाति / समुदाय

का है जिसे निम्नांकित अनुसार

अनुसूचित जनजाति

के रूप में मान्यता दी गयी है।

जो अनुसूचित जनजाति की सूची संख्या में क्रम सं.

२ पर दर्ज है।

- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950
- संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियां (संशोधन) आदेश 1956
- मुम्बई पुर्नगठन अधिनियम 1960, पंजाब पुर्नगठन अधिनियम 1966
- हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 उत्तरप्रदीय क्षेत्र (पूर्नगठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति तथा –  
– अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किए गये अनुसार
- संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956
- अनुसूचित जाति तथा जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान –  
– (अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959
- संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962
- संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962
- संविधान (पांडीचेरी) अनुसूचित जाति, आदेश 1964
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) उत्तरप्रदेश, आदेश 1967
- संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति, आदेश 1968
- संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1968
- संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1970
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1969
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन अधिनियम, 1991
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश हिंदीय संशोधन अधिनियम, 1991

श्री / सुश्री / श्रीमती

जाति

जिला / डिवीजन

आनिल मीणा

मीणा

झालावाड

पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री

निवासी

दुर्गाशंकर मीणा

खानपुर

राज्य राजस्थान में साधारण तौर से निवास करते हैं।

स्थान :

खानपुर

14/06/2013

दिनांक :

हसताक्षर व कार्यालय मोहर

(नोट : कृपया उन   शब्दों को हटा दीजिए जो लागू नहीं हैं)

यहाँ प्रयुक्त हुये "साधारण तौर से निवास" शब्दों का अर्थ वही होगा जो जनप्रतिनिधित्व 1950 धारा 20 में है।